



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1947 (श10)  
(सं0 पटना 1449) पटना, बुधवार, 3 सितम्बर 2025

विधि विभाग

अधिसूचना  
2 सितम्बर 2025

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025  
सं0 सी0/एल0ए0-2/2020/5630/जे0—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम-39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।-

- (1) यह नियमावली बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025 कही जा सकेगी ।
- (2) यह नियमावली बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पटना, चलंत लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (स्थायी लोक अदालत सहित) एवं अनुमंडल विधिक सेवा समिति की, स्थापना के अधिकारियों (गैर-न्यायिक) एवं कर्मचारियों पर लागू होंगी ।
- (3) यह बिहार राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी ।

2. परिभाषाएँ।-

- (i) इन नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987(1987 की केन्द्रीय अधिनियम-39) ।
- (ख) “नियुक्त प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अनुमंडल विधिक सेवा समिति यथास्थिति जो भी हो ।

- (ग) “बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 ।
- (घ) “बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियमन, 1998” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियमन, 1998 ।
- (ङ) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकार या अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ।
- (च) “विभागीय पदोन्नति समिति” से अभिप्रेत है, नियम 15 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति ।
- (छ) “जिला प्राधिकार” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकार ।
- (ज) “कर्मचारी” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मचारी या बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, चलंत लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) और अनुमंडल विधिक सेवा समिति के कर्मचारी ।
- (झ) “परीक्षा” से अभिप्रेत है, इन नियमावली के अन्तर्गत भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ।
- (ञ) “कार्यकारी अध्यक्ष” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष ।
- (ट) “सरकार” से अभिप्रेत है, बिहार सरकार ।
- (ठ) “उच्च न्यायालय” से अभिप्रेत है, पटना उच्च न्यायालय ।
- (ड) “उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा-8-ए के अन्तर्गत गठित पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ।
- (ढ) “न्यायिक पदाधिकारी” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं अनुमंडल विधिक सेवा समिति में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी ।
- (ण) “अधिकारी” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, चलंत लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) और अनुमंडल विधिक सेवा समिति में पदस्थापित अधिकारी (गैर न्यायिक) या अन्य सरकारी विभाग से समावेशी/प्रतिनियुक्ति द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की सेवाओं में कोई पद धारण करने वाला अधिकारी ।
- (त) “सदस्य सचिव” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव ।
- (थ) “चलंत लोक अदालत” से अभिप्रेत है, विधि विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 863/जे0, दिनांक 10.03.2006 के द्वारा स्थापित चलंत विधिक सेवा इकाई ।
- (द) “मुख्य संरक्षक” से अभिप्रेत है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ।
- (ध) “स्थायी लोक अदालत” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 22-बी उपधारा-1 के अन्तर्गत गठित स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) ।
- (न) “पद” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत पदाधिकारी एवं कर्मचारी का पद ।
- (प) “नियमावली” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025 ।

- (फ) “सेवा” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, चलंत लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) और अनुमंडल विधिक सेवा समिति के पदाधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाएँ ।
- (ब) “सचिव” से अभिप्रेत है, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकार और अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव ।
- (भ) “राज्य प्राधिकार” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत गठित बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ।
- (म) “अनुमंडल विधिक सेवा समिति” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा-11ए के अन्तर्गत गठित अनुमंडल विधिक सेवा समिति ।
- (ii) वैसे अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्ति जिनका उपयोग किया गया है, लेकिन इन नियमावली में परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो क्रमशः विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियमन, 1998, समय-समय पर संशोधित, में निहित है ।
- 3. सेवा का गठन।**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे—
- (i) सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जो इन नियमावली के प्रारंभ में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, चलंत लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) एवं अनुमंडल विधिक सेवा समिति के नियुक्त कर्मी हैं, को इन नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त किया गया माना जायेगा और इन नियमावली के शुरू होने से पहले उनके द्वारा की गई सेवा को उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता तय करने के लिए ध्यान में रखा जायेगा ।
- (ii) अधिकारी (अराजपत्रित) तथा कर्मचारियों की सेवा में नई नियुक्ति भर्ती इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा ।
- 4. पात्रता मानदण्ड।**—सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार:—
- (क) भारत का नागरिक होना चाहिए;
- (ख) सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु उस वर्ष की 01 अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए जिसमें भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी । विभिन्न श्रेणियों की ऊपरी आयु सीमा बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/अधिसूचना/संकल्प/परिपत्र/सूचना आदि के अनुसार होगी ।
- (ग) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार को राज्य प्राधिकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा ।
- (घ) कर्मचारी को अन्य संगठन/विभाग में परीक्षा/चयन में बैठने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी ।

## 5. आरक्षण।-

- (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के पक्ष में नियम-7 में दी गई अनुसूची के अनुसार पदों की विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण और अन्य के लिए आरक्षण श्रेणियाँ, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अधिसूचनाओं अथवा बिहार पदों एवं सेवाओं को रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग) अधिनियम, 1991 के अनुसार होगी ।
- (ii) निम्नवर्गीय लिपिक के प्राधिकृत बल का 10 प्रतिशत पद “बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023” में विहित प्रक्रिया के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा, ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों पर, सीधी भर्ती कोटा के शेष 75 प्रतिशत पद के विरुद्ध अपेक्षित मानदंड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा ।

## 6. अयोग्यता।-

- (i) किसी उम्मीदवार की ओर से किसी अनुचित तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास करने से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।
- (ii) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण वाले स्थानीय प्राधिकार या निगम से बर्खास्त किए गए व्यक्ति नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।
- (iii) एक पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हैं या एक महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी है, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

## 7. वर्गीकरण और भर्ती का तरीका।-

सेवा का वर्गीकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, चलंत लोक अदालत, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) एवं अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियुक्ति का तरीका एवं सेवा की पात्रता, नीचे दी गई अनुसूची के अनुरूप होगी,

परन्तु, राज्य सरकार समय-समय पर मुख्य संरक्षक के परामर्श से सेवा में शामिल पदों की संख्या को स्थायी या अस्थायी आधार पर जोड़ या घटा सकती है । अनुसूची इस प्रकार है:-

I

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

क्रमांक	पदनाम	वर्गीकरण	नियुक्ति का तरीका	न्यूनतम पात्रता	वेतनमान
01	प्रशाखा पदाधिकारी	(ख) राजपत्रित	सहायक से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	राज्य सरकार द्वारा समरूप पदों हेतु समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य हो सकेगा ।
02	सहायक	(ख) अराजपत्रित	75% सीधी भर्ती द्वारा एवं 25% उच्च वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	सीधी भर्ती के लिए-प्रतियोगिता परीक्षा, न्यूनतम योग्यता-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, कम्प्यूटर सक्षमता वांछनीय	
03	उच्चवर्गीय लिपिक	(ग)	निम्न वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
04	निम्नवर्गीय लिपिक	(ग)	75% सीधी भर्ती द्वारा, 15% कार्यालय परिचारी से प्रोन्नति द्वारा एवं 10% उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा	सीधी भर्ती के लिए- प्रतियोगिता परीक्षा- न्यूनतम योग्यता- मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडिएट एवं टंकण ज्ञान ।	
05	आप्त सचिव	(ख)	निजी सहायक से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
06	निजी सहायक	(ख)	आशुलिपिक से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
07	आशुलिपिक	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडिएट और हिन्दी या अंग्रेजी शॉर्टहैंड/टंकण गति में 80/30 शब्द प्रति मिनट	
08	अनुवादक (अंग्रेजी/हिन्दी)	(ख)	सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा के साथ हिन्दी में स्नातक की उपाधि हो या हिन्दी भाषा के साथ अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि हो ।	
09	आईटी प्रबंधक	(ख)	सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०टेक (कम्प्यूटर साइंस)	
10	डाटा इंट्री ऑपरेटर	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त इन्टरमीडिएट एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से छः माह का कम्प्यूटर अप्लीकेशन में डिप्लोमा ।	
11	लाईब्रेरियन	(ख)	सीधी भर्ती द्वारा	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक	

क्रमांक	पदनाम	वर्गीकरण	नियुक्ति का तरीका	न्यूनतम पात्रता	वेतनमान
12	चालक- I	(ग)	चालक- II से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
13	चालक- II	(ग)	चालक-III से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
14	चालक-III	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक या समकक्ष और एल0एम0वी0/ एच0एम0वी के लिए वैध ड्राइविंग लाईसेंस रखने वाले	
15	कार्यालय परिचारी	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक और साईकिल चलाना (महिला उम्मीदवार के लिए साईकिल चलाने की आवश्यकता नहीं है)	
16	परिचारी (रात्रि प्रहरी)	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक और साईकिल चलाना	
17	परिचारी (स्वीपर)	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक और साईकिल चलाना (महिला उम्मीदवार के लिए साईकिल चलाने की आवश्यकता नहीं है)	

## II

## (चलंत विधिक सेवा इकाई (चलंत लोक अदालत))

क्रमांक	पदनाम	वर्गीकरण	नियुक्ति का तरीका	न्यूनतम पात्रता	वेतनमान
01	प्रधान लिपिक	(ख) अराजपत्रित	उच्च वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	राज्य सरकार द्वारा समरूप पदों हेतु समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य हो सकेगा ।
02	परियोजना पदाधिकारी	(ख)	सीधी भर्ती द्वारा	सीधी भर्ती के लिए- प्रतियोगिता परीक्षा, न्यूनतम योग्यता-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, कम्प्यूटर सक्षमता वांछनीय	
03	उच्चवर्गीय लिपिक	(ग)	निम्न वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
04	निम्नवर्गीय लिपिक	(ग)	75% सीधी भर्ती द्वारा, 15% कार्यालय परिचारी से प्रोन्नति द्वारा एवं 10% उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा	सीधी भर्ती के लिए- प्रतियोगिता परीक्षा- न्यूनतम योग्यता- मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडिएट एवं टंकण ज्ञान ।	
05	कम्प्यूटर ऑपरेटर	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	इन्टरमीडिएट और किसी मान्यता प्राप्त	

क्रमांक	पदनाम	वर्गीकरण	नियुक्ति का तरीका	न्यूनतम पात्रता	वेतनमान
				संस्थान/संगठन से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्ष का डिप्लोमा	
06	चालक- I	(ग)	चालक- II से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
07	चालक- II	(ग)	चालक- III से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
08	चालक-III	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक या समकक्ष और एल0एम0वी0/एच0एम0वी के लिए वैध ड्राइविंग लाईसेंस रखने वाले	
09	कार्यालय परिचारी	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक और साईकिल चलाना (महिला उम्मीदवार के लिए साईकिल चलाने की आवश्यकता नहीं है)	

### III

#### उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पटना

क्रमांक	पदनाम	वर्गीकरण	नियुक्ति का तरीका	न्यूनतम पात्रता	वेतनमान
01	प्रशाखा पदाधिकारी	(ख) राजपत्रित	सहायक से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
02	सहायक	(ख) अराजपत्रित	75% सीधी भर्ती द्वारा एवं 25% उच्च वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	सीधी भर्ती के लिए-प्रतियोगिता परीक्षा-न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, कम्प्यूटर सक्षमता वांछनीय	राज्य सरकार द्वारा समरूप पदों हेतु समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य हो सकेगा ।
03	उच्चवर्गीय लिपिक	(ग)	निम्न वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
04	निम्नवर्गीय लिपिक	(ग)	75% सीधी भर्ती द्वारा, 15% कार्यालय परिचारी से प्रोन्नति द्वारा एवं 10% उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा	सीधी भर्ती के लिए-प्रतियोगिता परीक्षा-न्यूनतम योग्यता-मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडिएट एवं टंकण ज्ञान ।	

क्रमांक	पदनाम	वर्गीकरण	नियुक्ति का तरीका	न्यूनतम पात्रता	वेतनमान
05	निजी सहायक	(ख)	आशुलिपिक से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
06	आशुलिपिक	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडिएट और हिन्दी या अंग्रेजी शॉर्टहैंड/टंकण गति में 80/30 शब्द प्रति मिनट	
07	डाटा इंट्री ऑपरेटर	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त इन्टरमीडिएट एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से छः माह का कम्प्यूटर अप्लीकेशन में डिप्लोमा ।	
08	चालक- I	(ग)	चालक- II से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
09	चालक- II	(ग)	चालक- III से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
10	चालक-III	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक या समकक्ष और एल0एम0वी0/ एच0एम0वी के लिए वैध ड्राइविंग लाईसेंस रखने वाले	
11	कार्यालय परिचारी	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक और साईकिल चलाना (महिला उम्मीदवार के लिए साईकिल चलाने की आवश्यकता नहीं है)	
12	परिचारी (स्वीपर)	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक और साईकिल चलाना (महिला उम्मीदवार के लिए साईकिल चलाने की आवश्यकता नहीं है)	



IV  
जिला विधिक सेवा प्राधिकार

क्रमांक	पदनाम	वर्गीकरण	नियुक्ति का तरीका	न्यूनतम पात्रता	वेतनमान
01	प्रधान लिपिक	(ख) अराजपत्रित	उच्च वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	राज्य सरकार द्वारा समरूप पदों हेतु समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य हो सकेगा ।
02	उच्चवर्गीय लिपिक	(ग)	निम्न वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
03	निम्नवर्गीय लिपिक	(ग)	75% सीधी भर्ती द्वारा, 15% कार्यालय परिचारी से प्रोन्नति द्वारा एवं 10% उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा	सीधी भर्ती के लिए-प्रतियोगिता परीक्षा- न्यूनतम योग्यता- मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडिएट एवं टंकण ज्ञान ।	
04	आशुलिपिक- I	(ख)	आशुलिपिक-II से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
05	आशुलिपिक-II	(ख)	आशुलिपिक-III से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
06	आशुलिपिक-III	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडिएट और हिन्दी या अंग्रेजी शॉर्टहैंड/टंकण गति में 80/30 शब्द प्रति मिनट	
07	डाटा इंट्री ऑपरेटर	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त इन्टरमीडिएट एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से छः माह का कम्प्यूटर अप्लीकेशन में डिप्लोमा ।	
08	लाईब्रेरियन	(ख)	सीधी भर्ती द्वारा	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक	
09	चालक- I	(ग)	चालक- II से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
10	चालक- II	(ग)	चालक- III से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
11	चालक-III	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक या समकक्ष और एल0एम0वी0/ एच0एम0वी के लिए वैध ड्राइविंग लाईसेंस रखने वाले	
12	कार्यालय परिचारी	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक और साईकिल चलाना (महिला उम्मीदवार के लिए साईकिल चलाने की आवश्यकता नहीं है)	
13	परिचारी रात्रि प्रहरी)	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक और साईकिल चलाना ।	
14	परिचारी (स्वीपर)	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक और साईकिल चलाना (महिला उम्मीदवार के लिए साईकिल चलाने की आवश्यकता नहीं है)	

## V

## स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ)

क्रमांक	पदनाम	वर्गीकरण	नियुक्ति का तरीका	न्यूनतम पात्रता	वेतनमान
01	प्रधान लिपिक	(ख) अराजपत्रित	उच्च वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	राज्य सरकार द्वारा समरूप पदों हेतु समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य हो सकेगा ।
02	उच्चवर्गीय लिपिक	(ग)	निम्न वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
03	निम्नवर्गीय लिपिक	(ग)	75% सीधी भर्ती द्वारा, 15% कार्यालय परिचारी से प्रोन्नति द्वारा एवं 10% उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा	सीधी भर्ती के लिए- प्रतियोगिता परीक्षा- न्यूनतम योग्यता- मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडिएट	
04	आशुलिपिक-I	(ख)	आशुलिपिक-II से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
05	आशुलिपिक-II	(ख)	आशुलिपिक-III से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
06	आशुलिपिक-III	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडिएट और हिन्दी या अंग्रेजी शॉर्टहैंड/टंकण गति में 80/30 शब्द प्रति मिनट	
07	डाटा इंट्री ऑपरेटर	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त इन्टरमीडिएट एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से छः माह का कम्प्यूटर अप्लीकेशन में डिप्लोमा ।	
08	चालक- I	(ग)	चालक- II से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
09	चालक- II	(ग)	चालक- III से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
10	चालक-III	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक या समकक्ष और एल0एम0वी0/एच0एम0वी के लिए वैध ड्राइविंग	
11	कार्यालय परिचारी	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक और साइकिल चलाना (महिला उम्मीदवार के लिए	

क्रमांक	पदनाम	वर्गीकरण	नियुक्ति का तरीका	न्यूनतम पात्रता	वेतनमान
				साईकिल चलाने की आवश्यकता नहीं है)	
12	परिचारी (स्वीपर)	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक और साइकिल चलाना (महिला उम्मीदवार के लिए साइकिल चलाने की आवश्यकता नहीं है)	

## VI

## अनुमंडल विधिक सेवा समिति

क्रमांक	पदनाम	वर्गीकरण	नियुक्ति का तरीका	न्यूनतम पात्रता	वेतनमान
01	आशुलिपिक-II	(ख)	आशुलिपिक-III से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	राज्य सरकार द्वारा समरूप पदों हेतु समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य हो सकेगा ।
02	आशुलिपिक-III	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडिएट और शॉर्टहैंड/ टंकण गति में 80/30 शब्द प्रति मिनट	
03	डाटा इंट्री ऑपरेटर	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त इन्टरमीडिएट एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से छः माह का कम्प्यूटर अप्लीकेशन में डिप्लोमा ।	
04	उच्चवर्गीय लिपिक	(ग)	निम्न वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि	
05	निम्नवर्गीय लिपिक	(ग)	75% सीधी भर्ती द्वारा, 15% कार्यालय परिचारी से प्रोन्नति द्वारा एवं 10% उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा	सीधी भर्ती के लिए- प्रतियोगिता परीक्षा- न्यूनतम योग्यता- मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडिएट	
06	कार्यालय परिचारी	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक और साइकिल चलाना (महिला उम्मीदवार के लिए साइकिल चलाने की आवश्यकता नहीं है)	
07	परिचारी (स्वीपर)	(ग)	सीधी भर्ती द्वारा	मैट्रिक और साइकिल चलाना (महिला उम्मीदवार के लिए साइकिल चलाने की आवश्यकता नहीं है)	

## 8 नियुक्ति प्राधिकारी।-

क्रमांक	संगठन का नाम	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी
01	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/चलंत विधिक सेवा इकाई	समूह 'ख' एवं 'ग'	कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के परामर्श से सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
02	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	समूह 'ख' एवं 'ग'	कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के परामर्श से अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
03	जिला विधिक सेवा प्राधिकार/स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) एवं अनुमंडल विधिक सेवा समिति	समूह 'ख' एवं 'ग'	कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा के अनुमोदन से, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संबंधित अध्यक्ष

## 09- सीधी भर्ती की प्रक्रिया।-

(i) सीधी भर्ती के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा:-

- (क) विज्ञापन निर्गत करने या कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अन्य प्रक्रिया के बाद आवेदन आमंत्रित किया जायेगा।
- (ख) प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया और पाठ्यक्रम कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा या समय-समय पर निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(ii) जहाँ समूह 'ख' एवं 'ग' में किसी पद को सीधी भर्ती के माध्यम से भरना आवश्यक हो, कार्यकारी अध्यक्ष एक चयन समिति का गठन करेगा जिसमें सदस्य सचिव और राज्य प्राधिकार या जिला प्राधिकार के दो अधिकारी शामिल होंगे। चयन समिति लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवारों के पात्रता के आधार पर, जैसा भी मामला हो, योग्यता के क्रम में उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगी और इसे कार्यकारी अध्यक्ष के अनुमोदन के लिए अपनी अनुशंसा के साथ अग्रसारित करेगी। कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान किये जाने के बाद नियम-7 में निर्धारित सेवा के पदों पर सभी नियुक्तियाँ तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य सभी पदों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त अनुमोदित सूची से की जायेगी।

(iii) सीधी भर्ती की चयन सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और इस अवधि के भीतर किसी भी कारण से रिक्त या रिक्त होने वाले किसी भी विज्ञापित पद को प्रतीक्षारत उम्मीदवारों की सूची से यदि कोई हो, योग्यतानुसार भरा जाएगा। नियुक्ति के अनुमोदन के मामले में कार्यकारी अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

## 10. परिवीक्षा।-

(i) सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर उसे एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

11. विभागीय परीक्षा।-विभागीय परीक्षा राजस्व पर्वद द्वारा संचालित की जायेगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्वद, पटना द्वारा विभिन्न सेवा संवर्गों के लिए निर्धारित की जायेगी। विभागीय परीक्षा अथवा अन्य परीक्षा से विमुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड लागू होगा।

12. **सम्पुष्टि**—परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा

13. **प्रशिक्षण**—परिवीक्षा के दौरान सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति से ऐसे प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा की जायेगी जो माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

14. **पदोन्नति**—जहाँ किसी पद को प्रोन्नति के माध्यम से भरा जाना अपेक्षित हो, वहाँ कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी और उक्त समिति निम्नलिखित के लिए उपयुक्तता पर विचार करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार कर सकेगी ।

15. **विभागीय पदोन्नति समिति**—पदोन्नति के लिए कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली एक विभागीय पदोन्नति समिति होगी जिसमें तीन सदस्य होंगे और एक सदस्य कम से कम जिला न्यायाधीश के पद और अन्य सदस्य अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं बिहार न्यायिक सेवा (वरिष्ठ कोटि) के अधिकारी होंगे ।

16. **पदोन्नति के लिए कालावधि**—इसके संबंध में राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचना/परिपत्र/नियमावली लागू होंगे ।

17. **वरीयता**—

- (1) सेवा के कर्मचारियों की परस्पर सेवाओं में किसी भी पद पर निरंतर सेवा अवधि के आधार पर वरीयता निर्धारित किया जाएगा:  
परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवा के सदस्यों की दशा में वरीयता नियत करने में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित योग्यता के क्रम में कोई व्यवधान नहीं डाला जायेगा ।  
परन्तु यह और कि सेवा दो या दो से अधिक सदस्यों की एक ही तिथि को समान पद पर नियुक्त होने की स्थिति में उनकी वरीयता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:—
  - (क) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सेवा का सदस्य सीधी भर्ती या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;
  - (ख) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवा का सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;
  - (ग) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सेवा के सदस्यों के मामले में, वरिष्ठता उस विभाग में ऐसे सदस्य की वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित की जाएगी जहाँ से उन्हें प्रतिनियुक्ति के लिए भेजा गया था या स्थानान्तरण किया गया था;
- (2) पदक्रम सूची में परस्पर वरिष्ठता के संबंध में किसी भी विवाद के संबंध में कार्यकारी अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।
- (3) राज्य प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ), अनुमंडल विधिक सेवा समिति में पूर्व से नियमित आधार पर कार्यरत कर्मियों के लिए, पदोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ के संबंध में उनकी नियुक्ति की तिथि से उक्त नियमावली उन पर प्रभावी होगा ।

18. **कर्मचारियों का स्थानान्तरण**—

- (i) जिला विधिक सेवा प्राधिकार, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) एवं अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएँ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के अनुमोदन से राज्य प्राधिकार को सूचना के अधीन स्थानान्तरण योग्य होगी ।
- (ii) जिला विधिक सेवा प्राधिकार, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) एवं अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों का किसी अन्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) और अनुमंडल विधिक सेवा समिति को, कार्यकारी अध्यक्ष के अनुमोदन से पारस्परिक स्थानान्तरित किया गया जाएगा ।

**19. विस्तार।-** सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति के उपरान्त संविदा नियोजन की प्रक्रिया निर्धारण के आधार पर संविदा नियोजन की जायेगी। सेवानिवृत्ति के पश्चात् कर्मचारियों/पदाधिकारियों को पुनर्नियोजित करने की शक्ति माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में निहित होगी।

**20. अधीक्षण एवं नियंत्रण।-** इन नियमावली के अधीन समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

**21. सेवा की अन्य शर्तें।-**

- (1) अनुशासन, दण्ड और अपील के मामलों में अधिकारी व कर्मचारी, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) से शासित होंगे।
- (2) बिहार राज्य सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) से नियम-24 के उप- नियम-(1) के खण्ड-(सी) अथवा खण्ड-(डी) के अधीन आदेश निर्गत करने में सक्षम प्राधिकार और अपीलीय प्राधिकार भी इन नियमों के परिशिष्ट-ए में निर्दिष्ट किए जायेंगे एवं अपील में जारी किया गया आदेश अन्तिम होगा।
- (3) वेतन, अवकाश, पेंशन, सेवानिवृत्ति, सुनिश्चित वृत्ति उन्वयन हेतु प्रावधान एवं अन्य मामलों, जिन्हें इन नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधानित नहीं किया गया है, के संबंध में राज्य प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, चलंत लोक अदालत के अधिकारी एवं कर्मचारी, पटना उच्च न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारीवृन्द (भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा तथा आचरण की अन्य शर्तें) नियमावली, 2021 द्वारा शासित होंगे।
- (4) इसी प्रकार, उन मामलों के लिए, जिन्हें इन नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधानित नहीं किया गया है, बिहार सिविल कोर्ट अधिकारी एवं कर्मचारीवृन्द (भर्ती, पदोन्नति, स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 जिला विधिक सेवा प्राधिकार, स्थायी लोक अदालत(जनोपयोगी सेवाएँ) एवं अनुमंडल विधिक सेवा समिति, के अधिकारी एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे।

**22. शिथिलीकरण की शक्ति।-** जहाँ मुख्य संरक्षक इस बात से संतुष्ट हों कि इन नियमों में से किसी नियम का प्रवर्तन किसी विशिष्ट मामलों में कठिनाई उत्पन्न करता है तो वह, आदेश द्वारा, उस विशिष्ट नियम को, उस सीमा तक एवं ऐसे अपवादों एवं शर्तों के अधीन जैसाकि आवश्यक हों, छोड़ देगा अथवा शिथिल कर देगा।

परन्तु यह कि जब कभी मुख्य संरक्षक द्वारा ऐसी शिथिलता प्रदान की जायेगी तो राज्य सरकार को इसे सुचित किया जाएगा।

**23. व्यावृत्ति।-**

- (1) इस नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (मुख्य संरक्षक), कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा जारी समस्त अधिसूचनाएँ दिये गये समस्त आदेशों, की गई समस्त नियुक्तियाँ एवं प्रयोग की गई समस्त शक्तियों को क्रमशः इन नियमों के अधीन जारी किया गया/ दिया गया, एवं प्रयोग किया गया, माना जायेगा।
- (2) बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 अथवा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियमन, 1998 कोई असंगतता के मामलों में, इन नियमों के प्रावधान प्रभावी होंगे।
- (3) यदि किसी बिन्दु पर यह नियमावली बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 अथवा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियमन, 1998 मौन है तो वहाँ बिहार सरकार के सुसंगत नियम/विनियम/संकल्प/अधिसूचनाएँ इत्यादि लागू होंगे।

**24. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।-** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन/संशोधित दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन के आलोक में अनुकम्पा नियुक्ति की जायेगी।

25. निर्वचन।-यदि इन नियमावली के किसी प्रावधान की विवेचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो वहाँ मुख्य संरक्षक का निर्णय अन्तिम होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अंजनी कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

2 सितम्बर 2025

सं० सी०/एल०ए०-2/2020/5630/जे० बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अंजनी कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

*The 2<sup>nd</sup> September 2025*

**THE BIHAR STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY OFFICERS AND EMPLOYEES  
(RECRUITMENT & SERVICE CONDITIONS) RULES, 2025**

**No.C/LA.-02/2020/5630**—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act 39 of 1987), the Governor of Bihar, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Patna, hereby makes the following rules, namely:-

**1. SHORT TITLE EXTENT AND COMMENCEMENT:-**

- (1) These rules may be called The Bihar State Legal Services Authority Officers and Employees (Recruitment & Condition of Service) Rules, 2025.
- (2) These Rules shall apply to all the Officers (Non- Judicial) and Employees of the establishment of, The Bihar State Legal Services Authority, Patna High Court Legal Services Committee, Mobile Lok Adalat, District Legal Services Authority (including Permanent Lok Adalat for Public Utility Services) and Sub-Divisional Legal Services Committee.
- (3) It shall come into force from the date of publication in the Bihar Official Gazette.

**2. DEFINITIONS:-**

- (i) In these rules, unless the context otherwise requires :-
  - (a) “**Act**” means the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act 39 of 1987);
  - (b) “**Appointing Authority**” means the Bihar State Legal Services Authority or High Court Legal Services Committee or District Legal Services Authority or Sub-Divisional Legal services Committee, as may be specified in these rules.
  - (c) “**Bihar State Legal Services Authority Rules, 1996**” means The Bihar State Legal Services Authority Rules 1996.
  - (d) “**Bihar State Legal Services Authority Regulations, 1998**” means Bihar State Legal Services Authority Regulations 1998.

- (e) “**Chairperson/Chairman**” means the Chairperson/Chairman of High Court Legal Services Committee or District Legal Services Authority or Sub-Divisional Legal services Committee.
- (f) “**Departmental Promotion Committee**” means a Departmental Promotion Committee constituted under Rule 15 in these rules;
- (g) “**District Authority**” means District Legal Services Authority constituted under Section 9 of the Act;
- (h) “**Employee**” means an employee of the Bihar State Legal Services Authority or an employee for the Bihar State Legal Services Authority, High Court Legal Services Committee, Mobile Lok Adalat, District Legal Services Authority, Permanent Lok Adalat (Public Utility Services) and Sub-Divisional Legal Services Committee;
- (i) “**Examination**” means the competitive examination for recruitment conducted under these Rules;
- (j) “**Executive Chairman**” means the Executive Chairman of the Bihar State Legal Services Authority;
- (k) “**Government**” means the Government of Bihar;
- (l) “**High Court**” means the Patna High Court;
- (m) “**High Court Legal Services Committee (HCLSC)**” means the Patna High Court Legal Services Committee constituted under Section 8A of the Act;
- (n) “**Judicial Officer**” means serving/retired officers of Bihar Superior Judicial Services and Bihar Judicial Services posted on deputation at Bihar State Legal Services Authority, High Court Legal Services Committee, District Legal Services Authority and Sub-Divisional Legal Services Committee.
- (o) “**Officer**” means officers (non-Judicial) posted at Bihar State Legal Services Authority, High Court Legal Services Committee, Mobile Lok Adalat, District Legal Services Authority, Permanent Lok Adalat (Public Utility Services) and Sub-Divisional Legal Services Committee or an officer holding any post in the services of the Bihar State Legal Services Authority by absorption/deputation from other Government Department;
- (p) “**Member Secretary**” means the Member Secretary of the Bihar State Legal Services Authority;
- (q) “**Mobile Lok Adalat**” means Mobile Legal Services Unit established by Law Department, Govt. of Bihar vide Memo no. 863/J dated 10.03.2006;
- (r) “**Patron-in-Chief**” means the Chief Justice of the Patna High Court;
- (s) “**Permanent Lok Adalat**” means Permanent Lok Adalat (Public utility Service) established under sub-section (1) of Section 22B of the Act;
- (t) “**Post**” means post of the officers and employees as sanctioned by the state Government;
- (u) “**Rules**” means Bihar State Legal Services Authority Officers and Employees (Recruitment & Service Conditions) Rules, 2025



- (v) “**Service**” means service under the Bihar State Legal Services Authority, High Court Legal Services Committee, Mobile Lok Adalat, District Legal Services Authority, Permanent Lok Adalat (Public Utility Services) and Sub-Divisional Legal Services Committee Officers and Employees service;
- (w) “**Secretary**” means Secretary of High Court Legal Services Committee, District Legal Services Authority, and Sub-Divisional Legal Services Committee;
- (x) “**State Authority**” means Bihar State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act;
- (y) “**Sub-Divisional (Taluk) Committee**” means Sub-Divisional Legal Services Committee constituted under Section 11A of the Act;
- (ii) All other words and expressions used herein but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Legal Services Authorities Act, 1987, Bihar State Legal Services Authority Rules, 1996 and Bihar State Legal Services Authority Regulations, 1998, as amended from time to time.

### 3. CONSTITUTION OF SERVICE:-

The service shall consist of the following persons:-

- (i) All officers and employees who, at the commencement of these Rules are regular employee of Bihar State Legal Services Authority, High Court Legal Services Committee, Mobile LokAdalat, District Legal Services Authority, Permanent LokAdalat(Public Utility Services) and Sub-Divisional Legal Services Committee shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by them before commencement of these Rules shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion to higher grade.
- (ii) New recruitment of Officers (Non-Gazetted) and employees will be done in accordance with the provisions of these rules.

### 4. ELIGIBILITY CRITERIA:-

- (i) A candidate for appointment to service or post :-
  - (a) Must be citizen of India.
  - (b) Candidate for direct recruitment must not be below 18 years of age on the 1<sup>st</sup> August of the year in which the process of recruitment initiated. The upper age limit of different categories shall be in accordance with the Orders/Notification/ Resolution/ Circulars/Notices etc issued by the by State Government of Bihar from time to time.
  - (c) The candidate appearing in competitive examination must comply the conditions prescribed by the State Authority.
  - (d) Employee must obtain prior permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection in other organization/department.

### 5. RESERVATION: -

- (i) Reservation to various categories of posts as per schedule given in Rule 7 in favour of members of Scheduled castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Extremely Backward Classes, Economically Weaker Section of the state, Horizontal reservation for women and Persons with disabilities

and reservation for other categories, if any, shall be in accordance with circulars/notices issued by the State Government from time to time in pursuance of Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Casts and Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1991.

- (ii) 10 percent of the sanctioned strength of Lower Division Clerk will be filled by appointing outstanding sportspersons as per the procedure prescribed in the Bihar Outstanding Sportspersons Appointment Rules, 2023. The dependents of such government servants who died during service, may be considered for appointment on compassionate grounds against the remaining 75 percent posts of direct recruitment quota, on fulfilling the requisite criteria.

#### 6. DISQUALIFICATION: -

- i) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any unfair means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.
- ii) A person dismissed by the Central or State Government or by a Local Authority or Corporation, owned or controlled by the Central or State Government, shall not be eligible for appointment.
- iii) A male candidate who has more than one wife alive or a female candidate who has married a person already having a wife alive shall not be eligible for appointment.

#### 7. CLASSIFICATION AND MODE OF APPOINTMENT:-

The classification of service, the Mode of Appointment and eligibility of service for Officers & Staff of State Legal Services Authority, Permanent Lok Adalat for Public Utility Services, Mobile Legal Services Unit, High Court Legal Services Committee, District Legal Services Authority and Sub-Divisional Legal Services Committee will be as per schedule given below,

But, the State Government may from time to time add or reduce the number of posts included in the service either on a permanent basis or temporary basis after consultation with the Patron in Chief. The Schedule is as under:-

#### I

BIHAR STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY					
S. N.	Name of Post	Classification	Mode of Appointment	Minimum eligibility	Pay Scale
01	Section Officer	B (Gazetted)	By Promotion from Assistant	Kalawadhi decided by State Government	The pay scale/pay level approved by the State Government from time to time for similar
02	Assistant	B (Non Gazetted)	75% By Direct Recruitment and 25% by promotion from Upper Division Clerks	For Direct recruitment- competitive examination- Minimum qualification Graduation from recognized University. Desirable: Computer proficiency.	
03	Upper Division Clerk	C	By Promotion from Lower Division Clerk	Kalawadhi decided by State Government	
04	Lower Division Clerk		75% by Direct Recruitment, 15% by	For Direct recruitment- Competitive	

BIHAR STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY					
S. N.	Name of Post	Classification	Mode of Appointment	Minimum eligibility	Pay Scale
		C	promotion from Office Attendant and 10% by outstanding Sports Person	examination- Minimum qualification Intermediate from recognized Board and typing test.	posts will be admissible .
05	Personal Secretary	B	By Promotion from Personal Assistant (PA)	Kalawadhi decided by State Government	
06	Personal Assistant (PA)	B	By Promotion from Stenographer	Kalawadhi decided by State Government	
07	Stenographer	C	By Direct Recruitment	Intermediate from a recognized Board and Shorthand/ Typewriting speed of 80/30 words per minute in Hindi or English.	
08	Translator (English/Hindi)	B	By Direct Recruitment	Graduation from a recognized university in English Language with Hindi or Graduation from a recognized university in Hindi Language with English	
09	IT Manager	B	By Direct Recruitment	B. Tech (Computer Science) from any recognized University	
10	Data Entry Operator	C	By Direct Recruitment	Intermediate from any recognized Board with 6 month certificate in Diploma in Computer Application from recognized institute	
11	Librarian	B	By Direct Recruitment	Graduation in Library Science.	
12	Driver-I	C	By Promotion from Driver-II	Kalawadhi decided by State Government	
13	Driver-II	C	By Promotion from Driver-III	Kalawadhi decided by State Government	
14	Driver-III	C	By Direct Recruitment	Matriculation or equivalent and possessing valid Driving License for LMV/HMV.	
15	Office Attendant	C	By Direct Recruitment	Matriculation and Bicycle riding (Bicycle	

BIHAR STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY					
S. N.	Name of Post	Classification	Mode of Appointment	Minimum eligibility	Pay Scale
				riding is not required for female candidate)	
16	Attendant (Night Guard)	C	By Direct Recruitment	Matriculation and Bicycle riding	
17	Attendant (Sweeper)	C	By Direct Recruitment	Matriculation and Bicycle riding (Bicycle riding is not required for female candidate)	

## II

MOBILE LEGAL SERVICES UNIT (MOBILE LOKADALAT)					
Sl. No.	Name of Post	Classification	Mode of Appointment	Minimum eligibility	Pay Scale
01	Head Clerk	B (Non Gazetted)	By Promotion from Upper Division Clerk	Kalawadhi decided by State Government	The pay scale/pay level approved by the State Government from time to time for similar posts will be admissible.
02	Project Officer	B (Non Gazetted)	By Direct Recruitment	For direct recruitment- Competitive Examination - Min. qualification- Graduation from recognized University. Desirable: Computer proficiency.	
03	Upper Division Clerk	C	By Promotion from Lower Division Clerk	Kalawadhi decided by State Government	
04	Lower Division Clerk	C	75% By Direct Recruitment, 15% by promotion from Office Attendant and 10% by outstanding Sports Person	For direct recruitment- Competitive examination- Min. qualification- Intermediate from recognized Board and typing test.	
05	Computer Operator	C	By Direct Recruitment	Intermediate from Recognized Board and One year Diploma in computer application from recognized Institute/ organization.	
06	Driver-I	C	By Promotion from Driver-II	Kalawadhi decided by State Government	
07	Driver-II	C	By Promotion from Driver-III	Kalawadhi decided by State Government	
08	Driver-III	C	By Direct	Matriculation or	

			Recruitment	equivalent and possessing valid Driving License for LMV/HMV	
09	Office Attendant	C	By Direct Recruitment	Matriculation and Bicycle riding (bicycle riding is not required for female candidate)	

### III

PATNA HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE					
Sl. No.	Name of Post	Classification	Mode of Appointment	Minimum eligibility	Pay Scale
01	Section Officer	B (Gazetted)	By Promotion from Assistant	Kalawadhi decided by State Government	The pay scale/pay level approved by the State Government from time to time for similar posts will be admissible.
02	Assistant	B (Non Gazetted)	75% By Direct Recruitment and 25% by promotion from Upper Division Clerks.	From direct recruitment- Competitive examination Min. qualification- Graduation from recognized University. Desirable: Computer proficiency	
03	Upper Division Clerk	C	By Promotion from Lower Division Clerk	Kalawadhi decided by State Government	
04	Lower Division Clerk	C	75% By Direct Recruitment, 15% by promotion from Office Attendant and 10% by outstanding Sports Person.	For direct recruitment- Competitive examination- Min. qualification- Intermediate from recognized Board and typing test.	
05	Personal Assistant	B	By Promotion from Stenographer	Kalawadhi decided by State Government	
06	Stenographer	C	By Direct Recruitment	Intermediate from a recognized Board and Shorthand/ Typewriting speed of 80/30 words per minute in Hindi or English.	
07	Data Entry Operator	C	By Direct Recruitment	Intermediate from any recognized Board with 6 month certificate in Diploma in Computer Application from recognized institute	

08	Driver-I	C	By Promotion from Driver-II	Kalawadhi decided by State Government	
09	Driver-II	C	By Promotion from Driver-III	Kalawadhi decided by State Government	
10	Driver-III	C	By Direct Recruitment	Matriculation or equivalent and possessing valid Driving License for LMV/HMV	
11	Office Attendant	C	By Direct Recruitment	Matriculation and Bicycle riding (Bicycle riding is not required for female candidate)	
12	Attendant (Sweeper)	C	By Direct Recruitment	Matriculation and Bicycle riding (Bicycle riding is not required for female candidate)	

## IV

## DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY

Sl. No.	Name of Post	Category	Mode of Appointment	Minimum eligibility	Pay Scale
01	Head Clerk	B (Non Gazetted)	By Promotion from Upper Division Clerk	Kalawadhi decided by State Government	The pay scale/pay level approved by the State Government from time to time for similar posts will be admissible.
02	Upper Division Clerk	C	By Promotion from Lower Division Clerk	Kalawadhi decided by State Government	
03	Lower Division Clerk	C	75% By Direct Recruitment, 15% by promotion from Office Attendant and 10% by outstanding Sports Person.	For direct recruitment: Competitive examination Min. qualification- Intermediate from recognized Board and typing test.	
04	Stenographer-I	B	By Promotion from Stenographer-II	Kalawadhi decided by State Government	
05	Stenographer-II	B	By Promotion from Stenographer-III	Kalawadhi decided by State Government	
06	Stenographer-III	C	By Direct Recruitment	Intermediate from a recognized Board and Shorthand/ Typewriting speed of 80/30 words per minute in Hindi or English.	
07	Data Entry Operator	C	By Direct Recruitment	Intermediate from any recognized Board with 6 month certificate in	

				Diploma in Computer Application from recognized institute	
08	Librarian	B	By Direct Recruitment	Graduation in Library Science.	
09	Driver-I	C	By Promotion from Driver-II	Kalawadhi decided by State Government	
10	Driver-II	C	By Promotion from Driver-III	Kalawadhi decided by State Government	
11	Driver-III	C	By Direct Recruitment	Matriculation or equivalent and possessing valid Driving License for LMV/HMV	
12	Office Attendant	C	By Direct Recruitment	Matriculation and Bicycle riding (Bicycle riding is not required for female candidate)	
13	Attendant (Night Guard)	C	By Direct Recruitment	Matriculation and Bicycle riding	
14	Attendant (Sweeper)	C	By Direct Recruitment	Matriculation and Bicycle riding (Bicycle riding is not required for female candidate)	

## V

PERMANENT LOKADALAT (PUBLIC UTILITY SERVICES)					
Sl. No.	Name of Post	Category	Mode of Appointment	Minimum eligibility	Pay Scale
01	Head Clerk	B (Non Gazetted)	By Promotion from Upper Division Clerk	Kalawadhi decided by State Government	The pay scale/pay level approved by the State Government from time to time for similar posts will be admissible.
02	Upper Division Clerk	C	By Promotion from Lower Division Clerk	Kalawadhi decided by State Government	
03	Lower Division Clerk	C	75% By Direct Recruitment, 15% by promotion from Office Attendant and 10% by outstanding Sports Person	For direct Recruitment- Competitive examination - Min. qualification- Intermediate from recognized Board and typing test.	
04	Stenographer-I	B	By Promotion from Stenographer-II	Kalawadhi decided by State Government	
05	Stenographer-II	B	By Promotion from Stenographer-III	Kalawadhi decided by State Government	
06	Stenographer-III	C	By Direct Recruitment	Intermediate from a recognized Board and	

				Shorthand/ Typewriting speed of 80/30 words per minute in Hindi or English.	
07	Data Entry Operator	C	By Direct Recruitment	Intermediate from any recognized Board with 6 month certificate in Diploma in Computer Application from recognized institute	
08	Driver-I	C	By Promotion from Driver-II	Kalawadhi decided by State Government	
09	Driver-II	C	By Promotion from Driver-III	Kalawadhi decided by State Government	
10	Driver-III	C	By Direct Recruitment	Matriculation or equivalent and possessing valid Driving License for LMV/HMV	
11	Office Attendant	C	By Direct Recruitment	Matriculation and Bicycle riding (Bicycle riding is not required for female candidate)	
12	Attendant (Sweeper)	C	By Direct Recruitment	Matriculation and Bicycle riding (Bicycle riding is not required for female candidate)	

## VI

## SUB-DIVISIONAL LEGAL SERVICES COMMITTEE

Sl. No.	Name of Post	Category	Mode of Appointment	Minimum eligibility	Pay Scale
01	Stenographer-II	B	By Promotion from Stenographer-III	Kalawadhi decided by State Government	The pay scale/pay level approved by the State Government from time to time for similar posts will be admissible.
02	Stenographer-III	C	By Direct Recruitment	Intermediate from a recognized Board and Shorthand/ Typewriting speed of 80/30 words per minute in Hindi or English.	
03	Data Entry Operator	C	By Direct Recruitment	Intermediate from any recognized Board with 6 month certificate in Diploma in Computer Application from	



				recognized institute	
04	Upper Division Clerk	C	By Promotion from Lower Division Clerk	Kalawadhi decided by State Government	
05	Lower Division Clerk	C	75% By Direct Recruitment, 15% by promotion from Office Attendant and 10% by outstanding Sports Person	For direct Recruitment-Competitive examination - Min. qualification- Intermediate from recognized Board and typing test.	
06	Office Attendant	C	By Direct Recruitment	Matriculation and Bicycle riding (Bicycle riding is not required for female candidate)	
07	Attendant (Sweeper)	C	By Direct Recruitment	Matriculation and Bicycle riding (Bicycle riding is not required for female candidate)	

#### 8. APPOINTING AUTHORITY:-

Sl. No.	Name of Institution	Name of post	Appointing Authority
01	Bihar State Legal Services Authority/ Mobile Legal Services Unit	Group 'B' and 'C'	Member Secretary, Bihar State Legal Services Authority in consultation with Executive Chairman, Bihar State Legal Services Authority
02	High Court Legal Services Committee	Group 'B' and 'C'	Chairperson, High Court Legal Services Committee in Consultation with Executive Chairman, BSLSA.
03	District Legal Services Authority/ Permanent Lok Adalat (for Public Utility Services) and Sub-Divisional (Taluk) Committee	Group 'B' and 'C'	Respective Chairman of District Legal Services Authority subject to the approval of Executive Chairman, Bihar State Legal Services Authority

#### 9. PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT:-

- (i) In case of direct recruitment following procedure shall be followed:-
  - (a) Application shall be called for after issuance of advertisement or other procedure as may be prescribed by Executive Chairman.
  - (b) The procedure and syllabus relating to the Competitive Examination shall be prescribed by the Executive Chairman or as per directions from time to time.
- (ii) Where any post in Group B or C is required to be filled up by way of direct recruitment, the Executive Chairman shall constitute a Selection Committee comprising of Member Secretary and any two officers from State Authority or District Authority. The Selection Committee on the basis of performance of candidates in the written examination and interview, as the case may be, shall prepare a list of candidates in order of merit and forward the same with its recommendation to the Executive Chairman for his approval. After such approval is granted by the Executive Chairman, all appointments to the posts in Service as set out in Rule 7 and all other posts sanctioned by the State Government from time

to time, shall be made from the said approved list by the appointing Authority.

- iii) The select list of direct recruitment shall be valid for a period of one year from the date of declaration of results and any advertised post remaining unfilled or falling vacant due to any reason within this period, shall be filled from the candidates from the waiting list, if any, as per merit. The decision of Executive Chairman in the matter of approval for appointment shall be final.

**10. PROBATION:-**Government servants appointed through direct recruitment will be on probation for 01(one) year. If the service is not satisfactory during the probation period, it can be extended for one more year. If the service is not satisfactory even in the extended period, the service can be terminated.

**11. DEPARTMENTAL EXAMINATION:-**Departmental examination will be organized by the Board of Revenue. The syllabus of departmental examination will be same as prescribed for various service cadres by the Central Examination Committee, Board of Revenue, Patna. The criteria prescribed by the General Administration Department, regarding the exemption from departmental examination or any such examination shall also be applicable here.

**12. CONFIRMATION:-**The services of probationer shall be confirmed only after successful completion of the probation period, including the extended period, if any, and passing of the departmental examination.

**13. TRAINING:-**Person appointed through direct recruitment or through promotion shall be expected to undergo such training as prescribed or determined by the Hon'ble Executive Chairman, Bihar State Legal Services Authority.

**14. PROMOTION:-**Where a post is required to be filled up by way of promotion, it shall be made on the basis of seniority-cum-merit by a Departmental Promotion Committee constituted by the Executive Chairman and the said Committee may device its own procedure for considering suitability for promotion.

**15. DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE:-**There shall be a Departmental Promotion Committee to be constituted by the Executive Chairman for promotion consisting of three members and one member at least the rank of District Judge and other members being officer of rank of the Additional District & Sessions Judge and Bihar Judicial Service (Senior Division).

**16. 'KALAWADHI' FOR PROMOTION:-**In this regards Notification/ Circular/ Rules issued by the State Government (General Administration Department, Bihar, Patna) from time to time shall be applicable.

**17. SENIORITY:-**

- 1) Seniority, inter se of employees of Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:  
Provided that in the case of members of Service appointed by direct recruitment, the order of the merit determined by the appointing authority shall not be disturbed in fixing the seniority; Provided further that in the case of two or more members of Service being appointed to a similar post on the same date, their seniority shall be determined as follows:-
  - (a) a member of Service appointed by promotion shall be senior to a member appointed by direct recruitment or transfer;
  - (b) a member of Service appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by transfer;

- (c) in the case of a members of Service appointed by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such member in the department from which they were sent for deputation or transferred;
- (2) The decision of the Executive Chairman with regard to any dispute regarding inter-se seniority in the gradation list shall be final.
- (3) For employees who are already working in the State Authority, High Court Legal Services Committee, District Legal Services Authority, Permanent Lok Adalat for Public Utility Services, and Sub-Division Legal Services Committee on regular basis, the Rules, with respect to promotion and other financial benefits will become applicable on them from the date of their appointment.

**18. TRANSFER OF EMPLOYEES:-**

- (i) The services of the officers and employees under the District Legal Services Authorities, Permanent Lok Adalats for Public Utility Services and Sub-Divisional Legal Services Committees shall be transferable within the District with the approval of Chairman of District Authority under intimation to State Authority.
- (ii) The officers and employees under the District Legal Services Authorities, Permanent Lok Adalats for Public Utility Services and Sub-Divisional Legal Services Committees to any other District Legal Services Authorities, Permanent Lok Adalats and Sub-Divisional Legal Services Committees shall be mutually transferred with the approval of Executive Chairman.

**19. EXTENSION:-**As per the General Administration Department's Resolution Memo 10000 dated 10. 07.2015, the contract employment will be engaged only on the basis of the procedure prescribed for contract employment, after retirement of retired government servants from various departments /offices of the State Government. The re-employment of employees/officials will be done by the Hon'ble Executive Chairman, Bihar State Legal Services Authority.

**20. SUPERINTENDENCE AND CONTROL:-**

All Officers and Employees governed by these Rules shall be subject to superintendence and control of the Bihar State Legal Services Authority.

**21. OTHER CONDITIONS OF SERVICE:-**

- (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, the officers and employees (as amendment from time to time) shall be governed by Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005.
- (2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub rule (1) of rule 24 of the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 and appellate authority shall also be specified in Rule-8 to these rules and Order passed in appeal shall be final.
- (3) In respect of pay, leave, pension, superannuation, provision for Assured Career Progression and all other matters, not expressly provided for in these rules, the Officers and Employees of State Authority, High Court Legal Services Committee and Mobile Lok Adalat shall be governed by Patna High Court Officers and Staff (Recruitment, Appointment, Promotion and other Condition of Service and Conduct) Rules, 2021.
- (4) Similarly, for matters, not expressly provided for in these Rule, Bihar Civil Court Officers and Staff (Recruitment, Promotion, Transfer and other

Services Conditions) Rules 2022 shall be applicable to Officers and Employees of District Authority, Permanent Lok Adalat (Public Utility Services) and Sub-Divisional Legal Services Committee.

**22. POWER OF RELAXATION:-**Where the Patron-in-Chief is satisfied that operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, he may, by order, dispense with or relax the particular rule to such an extent and subject to such exceptions and conditions, as may be deemed necessary.

Provided that as and when any such relaxation is granted by the Patron-in-Chief, the State Government shall be informed of the same.

**23. SAVINGS :-**

- (1) All notifications issued, orders passed, appointments made or powers exercised by the Chief Justice (Patron-in-chief), Executive Chairman or Chairperson prior to the commencement of these rules shall be deemed to have been issued, passed, made and exercised respectively under the provision of these rules.
- (2) In case of any inconsistency with Bihar State Legal Services Authority Rules, 1996 or Bihar State Legal Services Authority Regulations, 1998, the provision of these rules shall prevail.
- (3) If on any point, this rule, Bihar State Legal Services Authority Rules, 1996 and Bihar State Legal Services Authority Regulations, 1998, is silent then the relevant Rules/Regulations/Resolutions/Notifications etc of Bihar Government shall be applicable.

**24. APPOINTMENT ON COMPASSIONATE GROUND:-**The appointment on compassionate grounds will be done in the view of updated/revised guidelines and guidance issued from time to time by the General Administration Department, Government of Bihar.

**25. INTERPRETATION.-**If any doubt arises as to the interpretation of any of the provision of these rules, the decision of the Patron-in Chief shall be final.

**By order of the Governor of Bihar,  
Anjani Kumar Singh,  
Secretary to the Government of Bihar.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
बिहार गजट (असाधारण) 1449-571+10-डी0टी0पी0  
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>